न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2007/00143 (136/2007) 75 एलआरएक्ट

1. दयाराम पुत्र श्री बद्रीराम जाति जाट (मृतक)

1/1 सुशीला पत्नी दयाराम जाति जाट निवासी झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ।

1/2 गौरव पुत्र दयाराम उम्र 7 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता सुशीला देवी पत्नी दयाराम जाति जाट निवासी झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ।

2. सीबो देवी पत्नी लालचन्द
3. राजेन्द्र
4. शंकरलाल
5. विरेन्द्र

पिसरान लालचन्द } जाति जाट निवासी झाम्बर, तहसील व जिला हनुमानगढ

6. गुलाब कौर पुत्री जरनैल सिंह
7. गुरतेज सिह पुत्र श्री जरनैल सिंह

} जाति जटसिख निवासी झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ।

8. तरसेम सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

9. गुरदेव सिंह
10. हरदेव सिह
11. लखवीरसिंह उर्फ भूर सिह
12. वीरसिंह
13. इकबाल सिह

} पिसरान प्रीतम सिह निवासी झाम्बर, तहसील जिला हनुमानगढ।

14. लूणाराम पुत्र श्री कानाराम जाति जाट निवासी झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ। –अपीलाण्ट

बनाम

1. देवीलाल पि0 मु0 तुलसी
2. धनपत
3. कृष्ण

} पिसरान नत्थूराम जाति जाट निवासी झाम्बर, तहसील व जिला हनुमानगढ।

4. स्टेट जरिये तहसीलदार हनुमानगढ। –रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

विरूद्ध निर्णय दिनांक 07.04.2007 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ प्रकरण संख्या 132/2006 बअनवानी दयाराम आदि बनाम देवीलाल आदि

श्री सोहनलाल सहारण अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 1

श्री खुशकरण सिंह अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 4

निर्णय दिनांकः—12.03.2020

1. अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्ते 1955 की शर्त संख्या 8 (2) के अन्तर्गत एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया कि चक 5 व 6 एसएसडब्ल्यू में उसकी खातेदारी कृषि भूमि है। चक 5 एसएसडब्ल्यू के प. नं. 161/280 कि. नं. 1 ता 5 ने 2—2 बिस्वा रास्ता मन्जूरशुदा है। पहले प्रार्थीगण प. नं. 165/280 में रेलवे लाईन के साथ साथ आवागमन करते थे लकिन अब इस प. लाईन के पास रेल्वे ने दीवार निकाल दी है। प. नं. 161/280 कि. नं. 1 ता 5 में स्वीकृत रास्ता के साथ लगते हैं। प्रार्थीगण के खेत हैं व इस रास्ता से पहुंचने के लिए इसी प. नं. के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में पश्चिमी तरफ उत्तर से दक्षिण की तर 1—1 गट्ठा रास्ता प्रार्थीगण स्वीकृत कराना चाहते है। पूर्व में स्वीकृत रास्ता प. नं. 161/280 कि. नं. 5, 6, 15, 16, 25 में रास्ता स्वीकृत होने से यह रास्ता मंजूरशुदा रास्ता प. नं. 161/280 कि. नं. 1 ता 5 में मिल जायेगा। प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में चक 5 एसएसडब्ल्यू में पं. नु. 161/280 के किला नं. 5, 6, 15,16, 25 में पश्चिमी सिरे पर उत्तर से दक्षिण 1—1 गट्ठा पत्थर लाईन पर रास्ता मंजूर करने का अनुतोष मांगा।
2. अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया कि प्रश्गनत भूमि प. नं. 161/280 कि. नं. 5, 6, 15, 16, 25 अप्रार्थीगण की मौरूसी खातेदारी भूमि है जो राज0 उप0 निवेशन अधिनियम के अनतर्गत आवंटित अथवा ग्रांट नही है। शर्त सं0 8 (2) के तहत माननीय न्यायालय को उक्त भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने की अधिकारिता नहीं है। अतः प्रार्थना—पत्र निरस्त फरमाया जावे। पैरोकार राज अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना—पत्र पेश कर अंकित किया कि खेतों में जाने के लिए रास्ता अवरूद्ध है स्वीकार नहीं है बल्कि रेलवे लाईन के साथ—साथ रास्ता चल रहा है। प. नं. 161/280 कि. नं. 5, 6, 15, 16, 25 में कोई रास्ता नही चल रहा है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

3. विचारण न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र के आधार पर अपीलाण्ट/वादीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है ।
4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
5. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य को नजरअन्दाज करते हुए निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्ती है। अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय कानून का विवेचन व विश्लेषण नहीं किया इसलिए निर्णय अपास्त योग्य है। पहले प्रार्थीगण प. नं. 165/280 में रेलवे लाईन के साथ साथ आवागमन करते थे लकिन अब इस प. लाईन के पास रेल्वे ने दीवार निकाल दी है। प. नं. 161/280 कि. नं. 1 ता 5 में स्वीकृत रास्ता के साथ लगते हैं। प्रार्थीगण के खेत हैं व इस रास्ता से पहुंचने के लिए इसी प. नं. के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में पश्चिमी तरफ उत्तर से दक्षिण की तरफ 1–1 गट्ठा रास्ता प्रार्थीगण स्वीकृत कराना चाहते है। पूर्व में स्वीकृत रास्ता प. नं. 161/280 कि. नं. 5, 6, 15, 16, 25 में रास्ता स्वीकृत होने से यह रास्ता मंजूरशुदा रास्ता प. नं. 161/280 कि. नं. 1 ता 5 में मिल जायेगा। चक 5 एसएसडब्ल्यू प0 नं0 161/280 के कि. नं. 5, 6, 15, 16, 25 में पर्चा खतौनी के समय से ही रास्ता स्वीकृत था जो पर्चा खतौनी के बाद सम्वत 2024 से 2027 की जमाबन्दी में भी उक्त रास्ता का अंकन था लेकिन उसके बाद भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बनाई गई जामबन्दी में उक्त किलों में रास्ते के स्थान पर खाला दर्ज कर दिया। भू प्रबन्ध विभाग को इस बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के रिकार्ड में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा रास्ते का अंकन हटाये जाने का आदेश शून्य है। उक्त रास्ते का अंकन अपीलाण्ट द्वारा मातहत अदालत द्वारा निर्णय करने के बाद में पर्चा खतौनी की नकल लेने से पता चला इससे पूर्व उक्त अंकन का अपीलार्थीगण को ज्ञान नहीं था। इस आधार पर भी अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त करते हुए चक नं0 5 एसएसडब्ल्यू प0 नं0 161/280 के किला नं. 5, 6, 15, 16 25 में पूर्वानुसार रास्ते स्वीकृत कर अंकन किये जाने आदेश फरमाया जाने की कृपा करें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2011 पेज 38, आरआरडी 2015 पेज 650, आरआरडी 2015 पेज 628, आरआरडी 2001 पेज 60 आरआरडी 2003 पेज 175, आरआरडी 1993 पेज 239, आरआरटी 2008 (1) पेज 151 के न्यायक दृष्टान्त पेश किये।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्गनत भूमि प. नं. 161/280 कि. नं. 5, 6, 15, 16, 25 अप्रार्थीगण की मौरूसी खातेदारी भूमि है जो राज0 उप0 निवेशन अधिनियम के अन्तर्गत आवंटित अथवा ग्रांट नही है। शर्त सं0 8 (2) के तहत माननीय न्यायालय को उक्त भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने की अधिकारिता नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र निरस्त फरमाया गया है जो विधि सम्मत है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायायल में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में तथा अपील में भिन्न भिन्न तथ्य अंकित किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय में तो अपीलाण्ट ने यह कहा था कि ''पहले प्रार्थीगण प. नं. 165/280 में रेलवे लाईन के साथ साथ आवागमन करते थे लकिन अब इस प. लाईन के पास रेल्वे ने दीवार निकाल दी है। प. नं. 161/280 कि. नं. 1 ता 5 में स्वीकृत रास्ता के साथ लगते हैं। प्रार्थीगण के खेत हैं व इस रास्ता से पहुंचने के लिए इसी प. नं. के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में पश्चिमी तरफ उत्तर से दक्षिण की तर 1–1 गट्ठा रास्ता प्रार्थीगण स्वीकृत कराना चाहते है। पूर्व में स्वीकृत रास्ता प. नं. 161/280 कि. नं. 5, 6, 15, 16, 25 में रास्ता स्वीकृत होने से यह रास्ता मंजूरशुदा रास्ता प. नं. 161/280 कि. नं. 1 ता 5 में मिल जायेगा'' लेकिन अपील में अपीलाण्ट ने यह आब्जेक्शन लिया है कि ''चक 5 एसएसडब्ल्यू प0 नं0 161/280 के कि. नं. 5, 6, 15, 16, 25 में पर्चा खतौनी के समय से ही रास्ता स्वीकृत था जो पर्चा खतौनी के बाद सम्वत 2024 से 2027 की जमाबन्दी में भी उक्त रास्ता का अंकन था लेकिन उसके बाद भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बनाई गई जामबन्दी में उक्त किलों में रास्ते के स्थान पर खाला दर्ज कर दिया। भू प्रबन्ध विभाग को इस बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के रिकार्ड में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा रास्ते का अंकन हटाये जाने का आदेश शून्य है। उक्त रास्ते का अंकन अपीलाण्ट द्वारा मातहत अदालत द्वारा निर्णय करने के बाद में पर्चा खतौनी की नकल लेने से पता चला इससे पूर्व उक्त अंकन का अपीलार्थीगण को ज्ञान नहीं था।'' इस प्रकार अपीलाण्ट द्वारा अपील में उठाये गये बिन्दूओं को वाद में नहीं उठाया गया है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने के उपरान्त प्रार्थना–पत्र का निर्णय होने के बाद अपील में भिन्न आब्जेक्शन अपीलाण्ट लिये गये हैं जो कानूनन अपीलाण्ट नहीं ले सकता है। निर्णय होने के बाद प्रतिवादी या अप्रार्थी अपील में भिन्न आब्जेक्शन ले सकता है लेकिन वादी अथवा प्रार्थी अपील वाद से भिन्न तथ्यों के आधार पर पेश नहीं कर सकता है। प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेण्ट की मौरूसी भूमि हैं जिसमें रास्ता नहीं दिया जा सकता है। भू प्रबन्ध विभाग ने रास्ते के स्थान पर खाला दर्ज कर दिया है। भू प्रबन्ध विभाग को नेचर ऑफ लैंड चैंज

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

करने का अधिकार है। क्लासीफिकेशन ऑफ लैंड चैंज करने का अधिकार है। अपीलाण्ट को धारा 136 में जाना चाहिए था वह उपनिवेशन की शर्त संख्या 8(2) या धारा 251 आरटीएक्ट में अपील अथवा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है। अपीलाण्ट नई प्ली नहीं ले सकता है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्त ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1993 पेज 239, आरआरडी 2000 पेज 499, आरआरडी 2003 पेज 499, आरआरडी 1981 पेज 295, आरआरडी 1983 पेज 653 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने समक्ष राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्ते 1955 की शर्त संख्या 8 (2) के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र प. नं. 161/280 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में पश्चिमी तरफ उत्तर से दक्षिण की तरफ 1–1 गट्ठा रास्ता प्रार्थीगण स्वीकृत कराना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह अंकित करते हुए कि उपनिवेशन क्षेत्र में मौरूसी खातेदारी भूमि पर जिसमें खातेदारी अधिकार उपनिवेशन अधीनियम व सामान्य उपनिवेशन शर्तों के प्रभाव में आने से पूर्व में प्राप्त हो चुके थे रास्ता स्वीकृत करने का अधिकार सामान्य उपनिवेशन शर्तों के अधीन उपखण्ड अधिकारी को नहीं है। मौरूसी खातेदारी भूमि में रास्ता स्वीकृत करने का प्रवधान/अधिकारिता नही हेाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए खारिज किया है जो विधि सम्मत है क्योंकि मारूसी खातेदारी भूमि में रास्ता स्वीकृत करने की अधिकारिता/प्रावधान नहीं होने के रास्ता स्वीकृत नहीं किया गया है। अपीलाण्ट ने अपील में नितान्त ही नया ऑब्जेक्शन लिया है कि चक 5 एसएसडब्ल्यू प0 नं0 161/280 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में पर्चा खतौनी के समय से ही रास्ता स्वीकृत था जो पर्चा खतौनी समवत 2024 से 2027 की जमाबंदी में भी उक्त रास्ता का अंकन था लकिन भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बनाई गई जमाबन्दी में उक्त किलों में रास्ता के स्थान पर खाला दर्ज कर दिया। भू प्रबन्ध विभाग को इस प्रकार बिना किसी सक्षम अधिकारिता के आदेश के रिकार्ड में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था।'' अपीलाण्ट द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में यह ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया है। अपीलाण्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय के पश्चात् पुरानी पर्चा खतौनी की नकल लेने से पता चला है। इस लिए अपील में यह आब्जेक्शन लिया गया है। रेस्पोडेण्ट को इस आब्जेक्शन पर आपत्ति है। **इस न्यायालय के मतानुसार यदि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने प्रार्थना–पत्र में जो आब्जेक्शन नहीं लिया है और वह प्रार्थना–पत्र खारिज हो गया है तो निर्णय होने के**

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

बाद अपील में प्रार्थी नया आब्जेक्शन लेकर अपील प्रस्तुत नहीं कर सकता है। दोनों पक्षों ने एक ही रूलिंग पेश की है आरआरडी 1993 पेज 239 माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया है इस न्यायिक दृष्टान्त को दोनों ने अपने अपने पक्ष में होने का कथन किया है। इस न्यायिक दृष्टान्त के अनुसार पत्र प्रकरण में नया ऑब्जेक्शन किसी भी स्तर पर लिया जा सकता है। हमारे मतानुसार वादी या प्रार्थी के लिए नहीं है बल्कि अप्रार्थी प्रतिवादी के लिए है वह अपने बचाव में नये तर्क ले सकता है। यह अधिकारिता अप्राथी/रेस्पोडेण्ट को तो है लेकिन प्रार्थी/अपीलाण्ट को नहीं यह अधिकारिता नहीं है। हमारे मतानुसार प्रार्थी या वादी द्वारा नई प्ली लेने का अर्थ हुआ कि वह नया वाद नये तथ्यों के साथ पेश कर रहा है जो उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में यह न्यायिक दृष्टान्त अपीलाण्ट के तथ्यों का समर्थन नहीं करता है बल्कि रेस्पोडेण्ट के हक में चस्पा होता है। अपीलाण्ट ने जो प्ली अधीनस्थ न्यायालय में नहीं की है वह अपील में करने का अधिकारी नहीं है। भू प्रबन्ध विभाग ने रास्ता के स्थान पर खाला दर्ज कर दिया है। इस न्यायालय के मतानुसार भू प्रबन्ध विभाग भूमि की जैसी स्थिति पाता है उसी के अनुसार उसको क्लासीफिकेशन ऑफ लैंड करने का अधिकारी है। अपीलाण्ट को भू पबन्ध विभाग के आदेश से यदि किसी प्रकार एतराज है तो उसे धारा 136 एलआरएक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करनी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के उपरान्त अपीलाण्ट नये आब्जेक्शन लेने का अधिकारी नहीं है। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.04.2007 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

10. निर्णय आज दिनांक 12.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

(आशाराम डूडीआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.03.24 12:08:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: